कार्यालय नगर पालिका परिषद, सिरोंज जिला विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक 29/अ.उ./11 दिनांक 9/11/11

परिशिष्ट "घ" (नियम 27)

प्रति,

टेक्नो इंडिया ग्लोबल इंटरनेशनल सेंटर
33 A नेताजी रोड [illegible]
[illegible] वर्तमान लटेरी रोड
[illegible] पास सिरोंज म.प्र.

खसरा क्रमांक २१५/२/१ भूखण्ड क्रमांक .... बस्ती/मार्ग लटेरी रोड .... मोहल्ला/बाजार/. २१५/२/२ २१८/१२ [illegible] नगर क्रमांक सिरोंज में भवन निर्माण हेतु परमिट की स्वीकृति के लिये आपके आवेदन [illegible] दिनांक 5/11/11 के सन्दर्भ में आपको सूचित करता हूँ । कि प्राधिकारी द्वारा निम्न लिखित आधारें पर ~~स्वीकृति नही दी गई है~~ । निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुयें स्वीकृति दी गई है –

1. भवन की कुर्सी धरातल से 1.5 फिट ऊँची रखी जावे ।
2. भवन निर्माण में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 184 लगायत 193 का पूर्णतः पालन किया जावे । अनुमति के विपरित किया गया कार्य निर्माण अवैध माना जावेगा ।
3. यह अनुमति भवन भूमि संबंधी आपसी बाद-विवाद अथवा आपत्ति होने पर किसी प्रकार के स्वत्व संबंधी अधिकार प्रदान नही करेगी एवं स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
4. वर्षा जल संग्रहण हेतु निजी भूमि में निर्धारित आकृति का एक जल संग्रहण गढ्ढा अनिवार्य रूप से निर्माण कराना होगा ।
5. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6. नियमानुसार भविष्य में शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है । तो आवेदक द्वारा कोई आपत्ति नही की जावेगी । तथा किसी भी हर्जे खर्चे की पात्रता नही होगी ।
7. निर्माण, कार्य में भूकम्प विरोधी तकनीक का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जावे ।
8. शासकीय अथवा नगर पालिका भूमि एवं सड़क, पटरी, नाली, खुली, भूमि गटर आदि किसी प्रकार से अतिक्रमण न करें एवं न निर्माण करें ।
9. भूमि के सबंध में यदि नजूल विभाग द्वारा आपत्ति की जाती है । तो जबाबदारी भूमि स्वामी की होगी ।
10. पाखाना फ्लेश सिस्टन व स्वयं की भूमि में सेप्टिक टेंक बनाकर निर्माण किया जावे ।
11. यह भवन अनुमति केवल एक वर्ष के लिये वैध है । इसके पश्चात निर्माण की अनुमति को रिन्यूवल समयावधि के पूर्व कराया जाना आवश्यक है ।
12. निशक्त जनों को बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक नियमों का पालन निर्माण में करना होगा ।
13. स्वंय की खुली भूमि 5 वृक्ष लगाने होगें ।
14. निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना नगर पालिका की न्यू एक्ट की धारा 09 के अंतर्गत देना होगी । न्यू एक्ट के अनुसार भवन उपयोग करने से पूर्व कम्पलीशन सर्टीफेकेट प्राप्त करना होगा ।
15. वाहन खड़े करने हेतु कम से कम 12.00 मी. चौड़ा स्थान भवन के सामने छोड़ना जहां लागू हो ।
16. निर्माण करते समय भवन भूखण्ड से लगें हुयें अन्य भवन भूमि स्वामियों के हितों का ध्यान रखना होगा ।

उपरोक्त कंडिकाओं का पालन अनिवार्य होगा यदि पालन नही किया जाता है तो अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।

TRUE COPY
ATTESTED BY ME

उपयंत्री
नगर पालिका परिषद सिरोंज

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिरोंज

NOTARY
Regd. No.-23/2002

प्रतिलिपि :-

1. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग कार्यालय जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

VICE CHANCELLOR
TECHNO GLOBAL UNIVERSITY
Lateri Road, Sironj Dist. Vidisha
Madhya Pradesh-464228

13 FEB 2014

उपयंत्री
नगर पालिका परिषद सिरोंज

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिरोंज

VICE CHANCELLOR
TECHNO GLOBAL UNIVERSITY
Lateri Road, Sironj Dist. Vidisha
Madhya Pradesh-464228

Scanned by CamScanner